न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या 10/2024/अपील/एलआर/कोटा
दायरा दिनांक 12.3.2024
अन्तर्गत धारा: 75 राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. नन्दकिशोर पुत्र रामकुवांर
2–भैरूलाल पुत्र रामकुवांर
जाति खारवाल निवासी ग्राम गेंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा–राज0

...अपीलांट्स

बनाम

1. जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट कोटा।
2. उप खण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा।
3–राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा।
4–ग्राम पंचायत गेंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा जरिये सरपंच।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री नवीन खरोल अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0 कम 1, 2, 3
श्री महेश शर्मा अभिभाषक –रेस्पो0 कम–4

::निर्णय::

दिनांक 6.6.2024

अपीलार्थीगण ने कार्यालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा आदेश कमांक/प.2 (8) ( )राजस्व–ा/2023/1549 दिनांक 21.6.2023 बावत ग्राम गेंता तह0 पीपल्दा के ख0 नं0 822 रकबा 2.21किस्म बारानी–ा एंव ख0 नं0 824 रकबा 2.80 किस्म बजड कुल किता 2 रकबा 5.01 है0 भूमि आबादी विकास हेतु आरक्षित भूमि को राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 102–क के अन्तर्गत ग्राम हवा खेडली मे डूब क्षेत्र मे आ रही आबादी के विस्थपवन के कम मे आबादी विस्तार/विकास प्रयोजन हेतु ग्राम पंचायत गेंता के अधीन आवंटित किये जाने से व्यथित होकर यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 व धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि जिला कलक्टर कोटा द्वारा आदेश कमांक/प.2(8) ( ) राजस्व–ा/2023/1549 दिनांक 21.6.2023 बावत ग्राम गेंता तह0 पीपल्दा के ख0 नं0 822 रकबा 2.21किस्म बारानी–ा एंव ख0 नं0 824 रकबा 2.80 किस्म बजड कुल किता 2 रकबा 5.01 है0 भूमि आबादी विकास हेतु आरक्षित भूमि को राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 102–क के अन्तर्गत ग्राम हवाखेडली मे डूब क्षेत्र मे आ रही आबादी के विस्थापन के कम मे आबादी विस्तार/विकास प्रयोजन हेतु ग्राम पंचायत गेंता के अधीन आवंटित की गई। जिला कलक्टर कोटा का उक्त आदेश वादग्रस्त भूमि संबधित साक्ष्य एंव दस्तावेजो के विपरीत है। विवादित आराजी अपीलांट के पिता के कब्जे काश्त की भूमि रही है जिस पर पूर्व मे अपीलांट के पिता तथा वर्तमान मे अपीलांट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसकी भौतिक जांच किये बिना तथा ओक्यूपाईड लेण्ड होने के बावजूद उपखण्ड अधिकारी ने आवंटन की अनुशंसा की गई जो प्रथम दृष्ट्रया ही विधि विरूद्ध है। जिला कलक्टर कोटा द्वारा उक्त अनुशंसा के आधार पर पारित आदेश काबिल निरस्तनीय है। जिला कलक्टर कोटा ने इस बिन्दू पर भी गौर नही किया कि अपीलांट एंव उसके पिता के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये गये जो सन् 1992 लगायत 2023 तक प्रतिवर्ष के है जो अपील के साथ प्रस्तुत किये जा रहे है तथा जुर्माना राशि भी भरी गई जिसकी रसीदे संलग्न है तथा निरंतर आज तक कब्जा काश्त चलाा आ रहा है। जिससे अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर भौतिक कब्जा काश्त सिद्ध होता है। उक्त आराजी के आवंटन/नियमन करने बावत वर्ष 1994 मे प्रार्थना पत्र भी जिला कलक्टर कोटा को प्रस्तुत किये गये जिस पर संक्षिप्त कार्यवाही करते हुये आज दिनांक तक कोई संतुष्टिपूर्ण आदेश पारित नही किया ना ही अपीलांट्स को आज दिनांक तक उक्त

अति. सं. आयुक्त
कोटा

आराजी से बेदखल किया। इस प्रकार उक्त आराजी पर अपीलांट एंव उसके पिता का 35 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। आरआरडी 1990 पेज 1 पर प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार 30 वर्षो से अधिक कब्जा काश्त सिद्ध होने पर काबिज व्यक्ति खातेदारी/नियमन करवाने का विधिक अधिकारी होता है। जिला कलक्टर ने उक्त न्यायिक सिद्धान्तो के विपरीत नो वन केन बी अनहर्ड के विरूद्ध जेरअपील आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्त योग्य है। उक्त आवंटन अपीलांट्स को नुकसान पहुचाने एंव आराजी से बेदखल करने की नियत से आवंटित करवाया गया है ग्राम पंचायत गेंता के सरपंच जो अपीलांट्स से राजनैतिक द्वेषता रखते हुये जानबूझ कर उक्त आराजी को आंवटन हेतु मांग की है जो रिक्त भूमि नही है जबकि उक्त गांव मे अपीलांटस की आराजी के अलावा अन्य भी सिवायचक भूमिया आंवटन हेतु उपलब्ध है। ऐसी स्थिति मे जेरअपील आदेश प्रथम दृष्टया ही आवंटन नियमों के विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर कोटा का आक्षेपित जेरअपील आदेश दिनांक 21.6.23 निरस्त किया जाकर वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स के नाम नाम नियमन/आवंटन किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील पर रेस्पो0 की आपत्ति सुरक्षित रखते हुये दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एव रेस्पो0 कम– 4 तथा रेस्पो0 पैरोकार सरकार कम 1 लगा0 3 सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट एंव पूर्व मे उसके पिता के कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वह 30–35 वर्षो से अधिक समय से काबिज काश्त है तथा राज0 भू राजस्व अधि0 की धारा 91 के नोटिसो के तहत जुर्माना जमा कराता आ रहा है। भूमि खाली नही है। अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि के आवंटन/नियमन का पात्र है। जिला कलक्टर कोटा ने वादग्रस्त भूमि मौके की स्थिति की जानकारी प्राप्त किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना जेरअपील आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अंत मे अपील स्वीकार कर जेरअपील आदेश निरस्त करने का कथन किया।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे अपीलांट के उपरोक्त तर्को का खण्डन करते जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश न्यायिक आदेश न होकर प्रशासनिक आदेश है। प्रशासनिक आदेश अपील योग्य न होकर पुनरीक्षण योग्य होने से न्यायालय हाजा मे धारा 96 सीपीसी बावत अपील पेश करने की अनुमति का प्रा0 पत्र तथा अपील पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने भी अपनी बहस मे पैरोकार सरकार रेस्पो0 कम– 1 लगा0 3 के कथन से सहमति प्रकट करते हुए जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश न्यायिक आदेश न होकर एक प्रशासनिक आदेश है। प्रशासनिक आदेश अपील योग्य नही है। अतः प्रथम दृष्टया ही अपील पोषणीय नही होने से खारिज की जावे।

6 हमने जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित आलौच्य जेर अपील आदेश का अवलोकन कर बहस उभय पक्षकार पर मनन किया। जिला कलक्टर कोटा द्वारा आदेश कमांक/प.2(8)( ) राजस्व–ा/2023/1549 दिनांक 21.6.2023 बावत ग्राम गेंता तह0 पीपल्दा के ख0 नं0 822 रकबा 2.21 किस्म बारानी–ा एंव ख0 नं0 824 रकबा 2.80 किस्म बजड कुल किता 2 रकबा 5.01 है0 भूमि आबादी विकास हेतु आरक्षित भूमि को राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 102–क के अन्तर्गत ग्राम हवाखेडली मे डूब क्षेत्र मे आ रही आबादी के विस्थापन के कम मे आबादी विस्तार/विकास प्रयोजन हेतु ग्राम पंचायत गेंता के अधीन आवंटित की जाने से व्यथित पक्षकार होना वर्णित करते हुये यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने के साथ पेश की गई जिस पर रेस्पो0 की आपत्ति सुरक्षित रखते हुये अपील को दर्ज किया जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस उभय पक्षकार सुनी जाकर बहस पर मनन किया।

7 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि पर 30–35 वर्षो से अपीलांट एंव पूर्व मे उसके पिता का कब्जा काश्त होने से वह आवंटन/नियमन का पात्र होने के बावजूद भी जिला कलक्टर कोटा ने उसको आवंटन/नियमन नही कर जेरअपील आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य होना बताया। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये जाहिर किया कि आक्षेपित आदेश कमांक/प.2(8)( ) राजस्व–ा/2023/1549 दिनांक 21.6.2023 बावत ग्राम गेंता तह0 पीपल्दा के ख0 नं0 822 रकबा 2.21 किस्म बारानी–ा एंव ख0 नं0 824 रकबा 2.80 किस्म बजड कुल किता 2 रकबा 5.01 है0 भूमि आबादी विकास हेतु

अति. सं. आयुक्त
कोटा

आरक्षित भूमि को राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 102–क के अन्तर्गत ग्राम हवाखेडली मे डूब क्षेत्र मे आ रही आबादी के विस्थापन के कम मे आबादी विस्तार/विकास प्रयोजन हेतु ग्राम पंचायत गेंता के अधीन आवंटित की गई है। उक्त आदेश न्यायिक आदेश न होकर प्रशासनिक आदेश है जो अपील योग्य न होकर सक्षम न्यायालय मे पुनरीक्षण योग्य होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 एंव राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत हस्तगत अपील खारिज योग्य है। उभय पक्षकारान के तर्क के संबध मे आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया। जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित आक्षेपित आदेश एक प्रशासनिक आदेश है जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत नही होकर केवल निगरानी प्रस्तुत की जा सकेगी। राज0 सरकार के गजट नोटिफिकेशन द्वारा इस संबध मे अधिकार माननीय राजस्व मण्डल को स्थानान्तरित कर दिये है। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर कोटा के आक्षेपित आदेश के विरूद्ध यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की है। राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की प्रथम अनुसूची (धारा 23) "न्यायिक मामलो की सूची" के अनुसार आक्षेपित आदेश न्यायिक आदेश नही है। बल्कि गैर न्यायिक एक प्रशासनिक आदेश है जो पुनरीक्षण योग्य होने से पैरोकार सरकार रेस्पो0 कम 1 लगायत 3 एंव विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–4 का उक्त तर्क विधिसम्मत प्रकट होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के संदर्भ मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नही होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एंव अपील पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 6.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा